न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 06/2024

बउनवान

भंवरलाल आयु 68 वर्ष पुत्र श्री किशोर जाति खटीक, निवासी ग्राम बड़ा, तहसील बारां, जिला बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, कोयला जिला–बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ओम मेहता III, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 24.07.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कोयला के आदेश दिनांक 30.12.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बड़ा तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 497/2302 रकबा 0.14 है., किस्म–बारानी 2 पर अतिक्रमी मानकर 70/– रूपये अर्थदण्ड एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही दिया गया न ही कोई स्वतंत्र गवाहान पेश किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का उक्त वर्णित आराजियात पर कोई कब्जा नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वतंत्र गवाहान के बयान भी नही लिये गए है। पटवारी हल्का के बयानों को आधार मानकर अपीलांट को सजायाब करने में भारी कानूनी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.12.2022 प्रकरण संख्या 230/2022 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को नोटिस की दिनांक तामील नहीं कराई गई है ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.30 14:16:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। अपीलांट को कभी बेदखल नही किया गया है तथा पत्रावली में पूर्व का बेदखली नामा शामिल नही किया गया है। अतिक्रमण वाली आराजी की पेमाईश भी नही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये बिना मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। जबकि अपीलांट का उक्त वर्णित आराजियात पर कोई कब्जा नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.12.2022 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व प्रकरण संख्या 123/22 में पारित निर्णय दिनांक 13.09.22 की प्रति संलग्न है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 123/22 मे पारित निर्णय दिनांक 13.09.2022 द्वारा बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया, गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 497/2302 रकबा 0.14 है0 किस्म सिवायचक ग्राम बड़ां पर सम्वत् 2079 खरीफ में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 123/22 में पारित निर्णय से बेदखल किया जाना अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली में संलग्न निर्णय दिनांक 13.09.22 की प्रति से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कोयला द्वारा प्रकरण संख्या 230/2022 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.30 14:16:34 IST
Reason: SelfAttested